

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 291/2026

UPRN180015212026



रीता आदि

बनाम

राज्य

धारा 323,504 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 19/2023(एन०सी०आर०)

थाना रेउना, जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 04/07/2026

जमानत आदेश

अभियुक्तगण रीता व गुलाब के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं० 291/2026 मु०अ०सं० 19/2023(एन०सी०आर०) धारा 323,504 भा०द०सं० थाना रेउना, कानपुर नगर के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियुक्तगण पर रंजिशन झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जमानत/मुचालके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप जमानतीय प्रकृति का हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत/मुचालके पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रत्येक को बीस हजार रुपये की एक जमानत तथा समान धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत/मुचालके पर रिहा किया जाता है।

दिनांक – 04/07/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562